© IJCIRAS | ISSN (O) - 2581-5334
August 2019 | Vol. 2 Issue. 3

भाषाई राजनीति : हिन्दी भाषा के विकास और विस्तार के समक्ष चुनौती

Dr.Niren Kumar Upadhyay
Sr.Fellow
Journalism and Mass Communication Department
Kashi Vidhyapith, Varanasi

शोधसार (Abstract)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में लोकतंत्र की स्थापना के अनेक उपक्रम किये गए। रियासतों का भारत में विलय, संविधान, तिरंगा झंडा, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्र और राज्य की भाषा आदि। लेकिन, इन सबके साथ ही राजनीतिक अदूरदर्शिता ने लम्बे समय तक दर्द देने वाली समस्याओं कश्मीर, सांप्रदायिकता, सीमा विवाद, गरीबी, नदी जल विवाद, भाषा का विवाद, जातिवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि को भारत की झोली में डाल दिया। कुछ विवाद राजनीति से प्रेरित हैं तो कुछ व्यवस्थागत कमियों के कारण पैदा हुए। कोई भी विवाद जब राष्ट्रहित से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे तब लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। भाषा का विवाद भी इनमें से एक है। हिन्दी का विरोध दक्षिण भारत में ज्यादा है। द० भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने राज्य में हिन्दी थोपने का आरोप लगाकर उग्र आंदोलन किया। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। तमिल, तेलुगू, असमिया, उड़िया, मराठी, बंगाली, हिन्दी, बिहारी (भोजपुरी) आदि भाषा-भाषियों के बीच विवाद के मूल में राजनीति अधिक भाषा के विकास और संरक्षण की बात कम है। आज विश्व में हिन्दी भाषा का विस्तार हो रहा है। बाजार में हिन्दी की मांग बढ़ी है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपनाने की बजाए अंग्रेजी में काम करने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं हिन्दी विरोधी आंदोलन के मूल कारणों में से एक है। जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अरब देश आदि अपनी राष्ट्रभाषा में ही विकास की नींव रख विश्व के सफलतम देश बने हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत ने भी अपने कदम इस ओर बढ़ाए हैं। देखना है कि हिन्दी विरोधी राजनीति करने वाले दल भारत के विकास में हिन्दी को माध्यम बनाने में कितना सहयोग करते हैं।

की वर्ड्स– भाषा, बाजारवाद, वैश्वीकरण, लोकतंत्र, हिंग्लिश, मीडिया, साम्राज्यवाद, तमिल, अंग्रेजी, संस्कृति, हिन्दी विरोध, राजनीतिक दल ।

प्रस्तावना

सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक समृद्धि, भाषा आदि किसी भी देश की पहचान होती है। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, अरब देश तथा भारत आदि कई अन्य देशों की पहचान भी उनकी संस्कृति, भाषा और आर्थिक गतिविधयों आदि के कारण बनी हुई है। बहुभाषी समाज, बहुसंस्कृति के बावजूद अनेकता में एकता का परिचय हिन्दी भाषा ही देती है। तमिल, तेलुगू, बंगला, मलयालम, मराठी के अलावा हिन्दी, अवधी तथा मैथिली आदि भाषाओं में समृद्ध साहित्य भरा पड़ा है। भारत में हिन्दी भाषा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आजादी के आंदोलन में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी पूरे देश में व्याप्त थी। एक स्वाभाविक सामाजिक स्वीकृति हिन्दी को मिली हुई थी। हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा का विरोध भाषाई अस्मिता, संस्कृति तथा समाज के कमजोर होने के थोथे तर्क पर टिकी जातीय राजनीति का ही एक पहलू है। विरोध करने वाले कहीं न कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं। भाषाई राजनीति न तो क्षेत्रीय भाषा और न ही उसके समाज के समग्र विकास की अवधारणा पर टिकी है। भारत राष्ट्र की सीमा के अंदर कोई एक ऐसी भाषा हो जो संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सके, जिसे सभी समझ सकें, बोल और पढ़ सकें हिन्दी के अलावा दूसरी कोई अन्य दिखायी नहीं देती। संस्कृत संपर्क भाषा हो सकती थी लेकिन हजारों वर्ष की गुलामी और शिक्षा व्यवस्था ने हमें इस भाषा से इतना दूर ला दिया है कि लोगों को संस्कृत सर्वाधिक कठिन भाषा लगने लगी है। हमें हमारी जड़ों से योजनाबद्ध तरीके से काटा गया। हिन्दी विरोध के नाम पर वर्ग आधारित राजनीति के विभिन्न पहलुओं में से भाषाई राजनीति अपने नये कलेवर में दिखाई देती है।

भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण चारों ओर हिन्दी को समझने, बोलने वाला समाज निवास करता है। दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार १९१८ में आरंभ हुआ। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास नगर के गोखले हॉल में डा० सी.पी. रामास्वामी अरयर

की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत चौदह रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार का भी उल्लेख है। गांधीजी आजीवन इसके सभापति रहे। उनके बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष हुए। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास में १९१८ में शुरू हुआ। उसके बाद केरल में १९३४ में, आंध्र प्रदेश में १९३५ में, कर्नाटक में १९३९ में, १९४३ में मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् तथा १९५३ में कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति की स्थापना हुई। इसके अलावा हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी दक्षिण के राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम किया। महात्मा गांधी ने कहा था, 'अगर हमें एक राष्ट्र होने का अपना दावा सिद्ध करना है, तो हमारी अनेक बातें एक-सी होनी चाहिए। हमें एक सामान्य भाषा की भी जरूरत है-देशी भाषाओं की जगह पर नहीं परन्तु उनके सिवा। इस बात में सहमति है कि यह माध्यम हिन्दुस्तानी ही होनी चाहिए। गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा था, 'हिन्दी भाषा पहले से ही राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने वर्षों पहले उसका राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग किया है।' रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी।' संविधान के निर्माताओं को शासकीय पत्राचार के लिए कुछ भाषाओं को चुनना था ताकि देश में भ्रम की स्थिति न रहे। भारत में उस समय लगभग १६५२ बोली जाने वाली भाषाओं में से ४६ प्रतिशत हिन्दी बोलने वालों की संख्या थी, इस आधार पर हिन्दी राष्ट्रभाषा के दावा करने की हकदार थी। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विहित किया गया और यह सिफारिश की गई कि हिन्दी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में यह स्पष्ट लिखित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा आयोग १९५५ में श्री बी. जी. खैर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर संसदीय समिति की सिफारिशों में प्रमुख बात यह थी कि, विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शासकीय कार्य के लिए शीघ्रता से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं और संघ के प्रयोजनों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग व्यावहारिक और आवश्यक हो गया है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि, किसी राज्य का विधान मंडल अपने राज्य में हिन्दी या किसी अन्य भाषा को शासकीय उपयोग के लिए अंगीकार कर सकेगा। लेकिन जब तक राज्य ऐसा कोई उपबंध नहीं करता है तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। यह बात निश्चय ही हिन्दी विरोधी आंदोलन के प्रभाव के चलते कही गयी। प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी भाषा का विरोध कब से और क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, क्या वास्तव में हिन्दी के कारण से तमिल, तेलुगू, कन्नड़ या मलयालम भाषाओं के अस्तित्व पर संकट आ जाता या फिर भाषाई अस्मिता जैसा भावनात्मक मुद्दा सत्ता पर कब्जे की राजनीति मात्र थी।

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है कि नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर के अधिवेशन में नेहरू, पटेल व पट्टाभि सीतारमैया की तीन सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर असहमति जतायी। इस रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगू भाषियों ने श्री रामुल्लू के नेतृत्व में अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। ५६ दिन के आमरण अनशन के कारण रामुल्लू के निधन से उपजी स्थिति के कारण पं० नेहरू ने तेलुगू भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को मान लिया। १ अक्टूबर १९५३ को स्वतंत्र भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसी प्रकार, १ मई १९६० को मराठी व गुजरातियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्य बने। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित कर १ दिसम्बर १९६३ को नागालैण्ड अलग राज्य बना। १ नवम्बर १९६६ को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब व हिन्दी भाषियों के लिए हरियाणा राज्य बना।

भाषाई राजनीति और हिन्दी विरोध की पृष्ठभूमि में दक्षिण के राज्यों में नये राजनीतिक समीकरण का उभरना प्रमुख कारण था, जो कि जातीयता के रंग में सराबोर थी। भाषाई राजनीति का नेतृत्व उन्हीं लोगों ने किया जो जातीयता, गैर ब्राह्मणवाद और संस्कृत के विरोधी थे। यह बात गौर करने वाली है कि दक्षिण की सभी प्रमुख भाषाओं की लिपियां भले ही अलग हों लेकिन उनकी शब्दावलियों में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। बावजूद इसके संस्कृत का विरोध महज राजनीतिक कारणों से किया गया। तमिलनाडु में दलित व पिछड़ी जातियों को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था। १९१६ में टी. एम. नायर तथा त्यागराज चेट्टी ने पहला गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया था। १९२१ में जस्टिस पार्टी ने स्थानीय चुनाव जीता था। रामासामी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। यह एक गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़नाडु (द्रविड़ों का देश) बनाने की मांग रखी थी। आजादी के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले

मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सी. राजगोपालाचारी। बाद में यही मद्रास राज्य बन गया जिसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु का पहला हिन्दी भाषा विरोधी आंदोलन तत्कालीन मद्रास प्रांत में १९३७ में हुआ था। यह विरोध ई.वी. रामासामी (पेरियार) और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी द्वारा किया गया था। मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिन्दी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के विरोध में किए गए इस आंदोलन को कांग्रेस सरकार गिरने के बाद इस आदेश को मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर लार्ड एस्किन ने २१ फरवरी १९४० में वापस ले लिया।

१९३७ से १९४० के दौरान चले आंदोलन को गैर ब्राह्मण विरोधी भावनाओं के रूप में चिंहित किया गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना था कि ब्राह्मण तमिल भाषा पर हिन्दी-संस्कृत लगाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालयों में १९४८-४९ के शैक्षणिक वर्ष से हिन्दी अनिवार्य किया जाने का द्रविड़ कड़गम और पेरियार ने विरोध किया था परिणामस्वरूप सरकार ने १९५०-५१ के शैक्षणिक वर्ष से हिन्दी शिक्षण वैकल्पिक बना दिया। हिन्दी को १९६५ के बाद एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी १५ वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी अधिकारिक भाषा के रूप में जारी थी। यह गैर हिन्दी भाषी राज्यों को स्वीकार्य नहीं था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक), द्रमुक कझागम के वंशजों ने इसका विरोध किया। मदुरै में दंगा हुआ जो दो महीनों तक चला,लगभग ७५ लोगों की मौत हुई। शास्त्री जी के आश्वासन (जब तक गैर हिन्दी भाषी राज्य चाहते थे तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी) के बाद दंगे रूके। इस दंगे के राजनीतिक आंदोलन के परिणामस्वरूप १९६७ में द्रमुक ने विधानसभा चुनाव जीते। १९६५ में ही एंटी हिन्दी आंदोलन परिषद् का गठन हिन्दी विरोध के लिए छात्रों के 'छाता' संगठन के रूप में किया। १९६८ में अन्नादुरई ने त्रिभाषा नीति को तोड़ा। १९८६ में जवाहर नवोदय विद्यालयों का विरोध इस आधार पर किया गया कि वहां हिन्दी प्रमुखता से पढ़ायी जाती। २०१४ में गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि, "मंत्रालयों, विभागों, निगमों, बैंकों के अधिकारियों, जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आधिकारिक खाते बनाए हैं, हिन्दी या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हिन्दी को प्राथमिकता देनी चाहिए।" इस आदेश का तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस विषय को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी।

तमिलनाडु में पेरियार और सी.एन. अन्नादुरई के बीच मतभेद के कारण पार्टी में बंटवारा हो गया। अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठन किया। साठ के दशक में हिन्दी के खिलाफ हुए आंदोलन ने डीएमके को ताकत दी और १९६७ में डीएमके ने राज्य से कांग्रेस का सफाया कर दिया और सी.एन. अन्नादुरई डीएमके के पहले मुख्यमंत्री बने। १९७२ में डीएमके का विभाजन हो गया और एम.जी. रामचंद्रन ने ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ए.आई.ए.डी.एम.के.) का गठन किया जो काफी दिनों तक राज्य की राजनीति में प्रभावी रहे। हालांकि एम.जी. रामचंद्रन की मृत्यु के बाद ए.आई.ए.डी.एम.के. में भी बंटवारा हो गया। टीएमसी, पीएमके, वीसीके, एमडीएमके और केएमपी जैसे कई छोटे दलों का जन्म हुआ और अपने-अपने इलाकों में ये प्रभावी रहे और कभी डीएमके तो कभी ए.आई.ए.डी.एम.के. के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हुए।

भाषाई राजनीति ने दक्षिण के अन्य राज्यों में भी अपने पांव पसार लिए हैं। कर्नाटक में हिन्दी का बहुत अधिक प्रभाव नजर आता है। सिनेमा, बाजार, मॉल्स के अलावा टैक्सी आदि बुक करनी हो सभी स्थानों पर बातचीत हिन्दी में अधिक होती है, कन्नड़ में कम। हिन्दी के बढ़ते प्रभाव का विरोध भी देखने में आ रहा है। बेंगलुरू मेट्रो रेल कार्पोरेशन (बी.एम.आर.सी.) के अपने नेटवर्क में कन्नड़ और अंग्रेजी के अलावा हिन्दी संकेतक (साइनेज) लगाने के फैसले ने कर्नाटक में भाषा बहस को फिर से जगा दिया है। "कन्नड़ गौरव" का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। बी.एम.आर.सी. के इस निर्णय के विरोध में राजनीतिक दलों ने हिन्दी में लगे साइन बोर्ड पर कालिख पोती, सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिसके चलते बी.एम.आर.सी. ने चुपचाप अपने सभी स्टेशनों और कोचों से हिन्दी संकेतकों को हटा दिया। यही नहीं कन्नड़ विकास प्राधिकरण (के.डी.ए.) ने एक पत्र जारी करते हुए अपने सभी कर्मचारियों से कहाकि 'राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी कन्नड़ में लेनदेन करें या नौकरी छोड़ दें।' आन्ध्र प्रदेश और केरल में हिन्दी का विरोध अभी तमिलनाडु की तरह मुखर नहीं हुआ है। १९९९ से आंध्र प्रदेश में हिन्दी दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जा रही है। मलयालम भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है और केरल में लोगों को राष्ट्रभाषा के प्रति अभ्यस्त होने में सरलता महसूस होती है। केरल की एक बड़ी आबादी खाड़ी के देशों में नौकरी के लिए जाते हैं, उनकी जगह पर भारत के अन्य राज्यों के लोग नौकरी करते हैं। विविध भाषाओं के लोगों की केरल में मौजूदगी इस कारण से भी विवाद का कारण नहीं बनती क्योंकि वहां पर मजदूरों को मलयालम सिखाई जाती है। केरल का प्रशासन इन्हें प्रवासी मजदूर कहता है। जिनके भरोसे केरल का कामकाज चलता है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दों को आधार बनाया जाता रहा है। जनभावनाओं को उभार कर सत्ता पर काबिज होने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि, विकास, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों, मजदूरों, स्वास्थ्य सेवाओं, मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को दरकिनार कर भाषा की राजनीति की जाए। कवि धूमिल की कविता की एक पंक्ति इस स्थिति का सही वर्णन करती है, 'बहस के लिए भूख की जगह, भाषा को रख दिया।' मराठी, बंगाली, असमिया, कोंकड़ी मानुष की बात की जा रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गैर मराठीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं शिवसेना, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना जैसे दलों द्वारा राज्य की राजनीति पर हावी होने की तड़प ज्यादा दिखायी पड़ रही है। इसी प्रकार मराठी-कोंकड़ी विवाद बढ़ा, पंजाब और असम में भी भाषा की राजनीति ने अपना असर दिखाया। इन सब की प्रतिक्रिया में उत्तर भारतीयों ने भी गैर हिन्दी, गैर भोजपुरी भाषियों पर हमले करने शुरू कर दिया। इसके पीछे भी स्थानीय स्तर पर छोटे राजनीतिक दलों की भूमिका ही प्रमुख रही है।

हिन्दी के साथ शुरू से ही यह विडम्बना रही है कि कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते कभी उर्दू, कभी तमिल तो कभी अंग्रेजी के बरक्स खड़ा किया जाता रहा। स्वाभाविक हिन्दी जिसे बहुसंख्य जनता बोलती-बरतती है, का विकास इससे बाधित हुआ। तमिलनाडु में भाषा को राजनीति का मुद्दा बनाए रखा। यही कारण है कि हिन्दी विरोध के बाद अंग्रेजी को लेकर वहां की राजनीति गरमाती रही है। जब मुख्यमंत्री जयललिता ने सरकारी स्कूलों में तमिल के साथ अंग्रेजी को लागू करना चाहा तो डीएमके नेता करूणानिधि ने यह कह कर इसका विरोध किया कि इससे तमिल भाषा पिछड़ जाएगी, तमिल संस्कृति प्रभावित होगी। इसके पीछे भी जयललिता की चुनावी राजनीति थी। चूंकि तमिलनाडु में शहरी आबादी अधिक है, अंग्रेजी विश्व भर में रोजगार की भाषा है, ग्रामीण क्षेत्र के तमिल अंग्रेजी पढ़कर रोजगार के काबिल बनें, तो इसमें हर्ज क्या है। रोजगार के बहाने जनमत अपने पक्ष में करने की रणनीति भाषा की राजनीति को प्रगाढ़ करती रही है। आठवीं अनुसूची की हमारी श्रेष्ठ प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर बल नहीं दिया गया। यही वजह है कि जहां प्रादेशिक भाषाओं को प्रदेश स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया है वहां भी अंग्रेजी का साम्राज्यवाद कायम है। १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रयोग केवल कुछ निश्चित कार्यों के लिए ही हो सकता था, परन्तु १९६५ आता इससे पहले ही अपरिहार्य दबाव के कारण संसद में राजभाषा विधेयक १९६३ लाया गया तथा उसमें अनुच्छेद ३४३-३ के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अंग्रेजी के प्रयोग को १९६५ के बाद उन सभी सरकारी कार्यों एवं संसद के कार्य व्यवहार के लिए हिन्दी के अतिरिक्त जारी रखने का प्रावधान किया गया जो अंततः हिन्दी के विकास के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ। राजभाषा हिन्दी को वर्षों तक संस्कृतनिष्ठ, उर्दू-फारसी शब्दों से परहेज के तहत तैयार किया गया। १९६० के दशक में उत्तर भारत में अंग्रेजी हटाओ, और दक्षिण में हिन्दी हटाओ के राजनीतिक अभियान में भाषा किस कदर प्रभावित हुई।

वैश्वीकरण से भारत अछूता नहीं रह सका। जहां वैश्वीकरण ने मुक्त बाजार के समर्थन में अपने तर्क रखे वहीं दूसरी ओर विश्व में एक नयी उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया। जिससे आम आदमी के जीवन से जुड़ी वस्तुओं के अलावा भाषा, संस्कृति, कला आदि सबको वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भाषायें, बोलियां बोली जाती हैं, किन्तु पूरे देश में हिन्दी व्यवहार व सम्पर्क भाषा के तौर पर जानी जाती है। इसलिए विश्व बाजार ने हिन्दी को अपनाया। हिन्दी बोलने, समझने और लिखने-पढ़ने वालों की संख्या विश्व बाजार के आकर्षण का केन्द्र है। और यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय उत्पादों के विज्ञापन हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित या प्रसारित किये जा रहे हैं। लेकिन हिन्दी में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है जिसे हिंग्रेजी कहा जाता है। आम भारतीय की आय औसतन हर ६ साल में दोगुनी हो रही है। शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है, तकनीकि जागरूकता भी बढ़ी है। आर्थिक क्षमता बढ़ने के साथ ही भारतीय नागरिकों की जरूरतें भी बढ़ी हैं और महत्वाकांक्षाएं भी। बेहतर जीवन शैली की ओर उनकी यात्रा बाजार में मांग पैदा कर रही है। बाजार मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर चलता है। 'बाजार भाषाओं की बहुलता को स्वीकार नहीं करता। वह व्यापार की भाषा चाहता है। इसीलिए यूरोप में एक भाषा और एक राष्ट्र का सिद्धांत विकसित हुआ। नेश्नल लैंग्वेज की अवधारणा पूंजीवाद की देन है।' एक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने १६ ऐसी भाषाओं का उल्लेख किया है जिन्हें ५ करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। उनमें से हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगू और उर्दू प्रमुख भाषायें हैं। हिन्दी को विभिन्न बोलियों का भाषिक समुदाय कहा गया है। भारत में हिन्दी को दो प्रकार से विश्लेषित किया गया है- एक, अरबी-फारसी-उर्दू बहुल हिन्दी तथा दूसरा, संस्कृत बहुल हिन्दी। देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को भारतीय संविधान ने भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस से एक आदमी ने पूछा कि किसी बिगड़े समाज को सुधारने का उपाय क्या है ? उन्होंने उत्तर दिया-"उसकी भाषा सुधार दो।" भगत सिंह ने 'भाषा और लिपि की समस्या' नामक लेख में

लिखा था, "किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश की भाषा से परिचित होने की परमावश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज की भाषा में प्रतिच्छवित हुआ करती है।" भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है। बोलियां, भाषायें, जातियां, उपजातियां, संप्रदाय, रहन-सहन, खान-पान, संस्कृति, पहनावा आदि हर प्रांत में बदल जाती है। कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी। भारतीय संविधान में भले ही मात्र २२ भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर छोटे-छोटे गांवों की अपनी अलग बोलियां हैं जिनके बारे में आज तक कोई सुध नहीं ली गयी। परिणामस्वरूप या तो वो समाप्त हो गईं या समाप्ति की ओर हैं। राम मनोहर लोहिया ने हिन्दी का पक्ष लेने वालों को आगाह करते हुए कहा था, 'हिन्दी की तरफदारी करने वाले योद्धा हिन्दी का भारी नुकसान कर रहे हैं, अगर वे यह नहीं समझते कि हिन्दी, बांगला, तेलुगू और तमिल आदि को एक-दूसरे की बहन बन कर रहना है।'

भारत में स्थिति ऐसी है कि यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते तो पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य, संगीत, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, सेना, न्यायपालिका, संसद, विधान सभाओं के लिए अयोग्य साबित हो जायेंगे। अंग्रेजी के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता ऐसी धारणा और विश्वास आम भारतीयों के मन में गहराई से बैठ गयी है। यह कल्पना ही नहीं है कि अपनी भाषा में भी हम विकास कर सकते हैं। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के प्रति सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, व्यवसाय आदि संभव है। आवश्यकता प्रयास करने की है। महात्मा गांधी ने कहा है कि, 'कठिनाई सिर्फ आज के पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही है, उनके स्वदेशाभिमान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेने की आशा रखने का हमें अधिकार है। जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में बरबाद करते हैं, उतने महीने भी अगर हम हिन्दुस्तानी सीखने की तकलीफ न उठाएं, तो सचमुच कहना होगा कि जन-साधारण के प्रति अपने प्रेम की जो डींगें हम हांका करते हैं, वे निरी डींगें ही हैं।' दक्षिण भारत से हिन्दी विरोध को समाप्त करने के मुद्दे पर डा० वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि, 'दक्षिण में हमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम का डटकर समर्थन करना चाहिए। वहां रहने वाले हिन्दी भाषियों को भी ये भाषाएं सीखनी चाहिये। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां दक्षिण की भाषा का डटकर समर्थन करें और अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन छेड़ दें तो क्या होगा? हिन्दी को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह अपने आप आ जाएगी। त्रिभाषा सूत्र तत्काल खत्म करें और प्रांतीय भाषाओं को प्रथम स्थान दें तो अखिल भारतीय संपर्क हिन्दी के बिना कैसे संभव होगा?'

हिन्दी विरोध की धुरी माने जाने वाले तमिलनाडु में हिन्दी भाषियों की संख्या दोगुनी बढ़ गयी है। ऐसा हिन्दी भाषी राज्यों के लोग रोजगार की तलाश में दक्षिण के राज्यों की तरफ प्रवास करने के कारण हुआ। बांग्ला, मराठी भाषियों की भी संख्या दक्षिण के राज्यों में रोजगार की तलाश के कारण बढ़ी है।

संदर्भ साहित्य अवलोकन

हिन्दी भाषा विरोधी आंदोलन को लेकर चल रही राजनीति और लोकतंत्र को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, टी.वी. चैनलों तथा इंटरनेट पर खबरें, शोधपत्र, लेख प्रकाशित किए गए हैं, प्रसारित किया गया। समय-समय पर चर्चाएं, गोष्ठियां या सेमिनार भी किए जाते रहे हैं। विषय का मुख्य केन्द्र बिंदु भाषाई राजनीति, हिन्दी भाषा और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती के संदर्भ में पुस्तकों का बाजार में अभाव सा है। हालांकि कुछ पत्रकारों एवं मीडिया शिक्षकों ने इस विषय पर लिखा है, जिनमें प्रमुख रूप से रामशरण जोशी की मीडिया और बाजारवाद, डा. ओम निश्चल का अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका गर्भनाल में प्रकाशित लेख, महात्मा गांधी का राष्ट्रभाषा और लिपि तथा बालेन्दु शर्मा दाधीच का तकनीकि विकास से समृद्ध होगी हिन्दी विषय पर लेख आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आशय यह है कि लोकतंत्र, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता की भावना होगी। यह बात केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर भी लागू होती है। निःसंदेह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को संविधान के जरिए समाप्त कर दिया गया है। भाषा के आधार पर भारत में विभेद कहीं था ही नहीं। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में यह विभेद स्पष्ट दिखायी दे रहा था जबकि अंग्रेजी को भारत की हिन्दी, संस्कृत या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर प्राथमिकता दी जाती थी। स्वतंत्र भारत में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने, एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी को

राष्ट्रभाषा बनाने तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बल प्रदान करने और इन सबके सम्मिलित प्रयास से भारत के समग्र विकास की नींव रखने का चिंतन काम कर रहा था। भाषा के आधार पर जिन राज्यों का गठन किया गया उनके विकास की गति शेष भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर नहीं रही। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल-जंगल-जमीन की समस्या आदि अनेकों समस्याएं दक्षिण भारत के राज्यों में बनी हुई हैं।

वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। विकास की नई परिभाषा गढ़ी गयी। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, समाज, राजनीति, रहन-सहन, आहार-विहार, रोजी-रोजगार, खेत-खलिहान-किसान, जल-जंगल-जमीन और मीडिया आदि पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखायी दे रहा है। इस नए आर्थिक चिंतन और व्यवस्था ने बाजार को बढ़ावा दिया। जहां सब कुछ बिकता है। इसके लिए सहज और सरल माध्यम बना मीडिया। जिस देश की शुद्ध रूप (मातृभाषा) से ४२ प्रतिशत जनता हिन्दी बोलने, पढ़ने लिखने वाली हो, जहां बांगला, तमिल, कन्नड़, तेलुगू और मलयालम मातृभाषा के लोगों की जनसंख्या करोड़ों में हो, ऐसे देश में अपने उत्पाद को बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिन्दी सहित उन तमाम भाषाओं का सहारा लेंगी जिसमें उनका उत्पाद बिक सके। विज्ञापनों की भाषा इसका स्पष्ट प्रमाण है। विज्ञापनों में अंग्रेजी के शब्दों के साथ हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे भाषाओं की शुद्धता, उसकी संस्कृति आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। भाषा के प्रभावित होने से साहित्य व पत्रकारिता के साथ-साथ समाज और संस्कृति भी प्रभावित होती है। तीनों का आपस में निकटता का संबंध है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू, असमिया भाषा को हिन्दी या संस्कृत से नहीं अंग्रेजी से ज्यादा खतरा है। बाजारवाद, वैश्वीकरण से उपजी नई विचारधारा है जो सिर्फ बाजार को महत्व देती है। तमिल सहित सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं की राजनीति करने वाले दलों, संगठनों को अंग्रेजी से उतना परहेज नहीं है जितना हिन्दी से तो इसके पीछे कहीं न कहीं बाजारवादी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है।

दक्षिण भारत में हिन्दी की स्वीकार्यता और समर्थन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। यह कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बदली हुई परिस्थितियों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएं आपसी सामंजस्य से विकास और रोजगार के नये अवसर दे सकते हैं। हिन्दी विरोध की राजनीति से आम आदमी को क्या लाभ है? क्या यह व्यापक सामाजिक ताने-बाने को चोट नहीं पहुंचा रहा है? लोकतंत्र मजबूत रहे इसके लिए समाज के सभी अंग स्वस्थ रहने चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने तमिल, कन्नड़, तेलुगू या मलयालम अस्मिता के साथ जोड़ कर हिन्दी विरोध की राजनीति निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया। हिन्दी भाषा विरोधी राजनीति दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाओं के संरक्षण, विकास, विस्तार और लोकतंत्र की स्थापना तथा संरक्षा के लिए भी हितकर नहीं रही है। एकात्म और संगठित भारत के लिए आवश्यक है कि देश में अन्य सभी भाषाओं के अस्तित्व के साथ ही हिन्दी का विकास, विस्तार और देश की संपर्क भाषा के रूप में पदस्थापित करना होगा। सत्ता की राजनीति भारत के लिए चुनौती न बने यह आवश्यक है।

References

[1] उपाध्याय रमेश व उपाध्याय संध्या, भाषाई साम्राज्यवाद की चुनौतियां, भाषा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली
[2] बाहरी हरदेव, हिन्दी भाषा व्याकरण
[3] पाण्डेय मैनेजर, भाषा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली।
[4] www.vistawide.com
[5] बसु डा० डीडी, भारत का संविधान, वाधवा प्रकाशन ऐंड कं० नागपुर
[6] पाण्डेय कैलाशनाथ, लेख, मीडिया विमर्श, मार्च २०११
[7] अध्ययन सामग्री, पीजीडीजेएमसी, यूपीआरटू
[8] दैनिक जागरण, अंतर्राष्ट्रीय पेज, २१.७.२०१३
[9] उपाध्याय रमेश व उपाध्याय संध्या, भाषा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली
[10] जोशी रामशरण, मीडियाः मिशन से बाजारीकरण तक, मीडिया विमर्श, मार्च २०११
[11] राजकिशोर, लेख, पत्रकारिता की भाषा, गूगल डॉट काम

[12] कुमकुम संगारी, भाषा का जनपक्षीय परिप्रेक्ष्य
[13] राजकिशोर, लेख, पत्रकारिता की भाषा, गूगल डॉट काम
[14] अध्ययन सामग्री, पीजीडीजेएमसी, यूपीआरटू
[15] वैदिक डा० वेद प्रताप, लेख, भाषाई गुलामी में भारत सबसे आगे, ातंदजप४चमवचसमण्बवउए
[16] २१.११.२०११
[17] पाण्डेय रतन कुमार, मीडिया की भाषा, समकालीन माध्यम, जनवरी २०१३, समय, समाज और मीडिया पर एकाग्र विशेषांक, पृष्ठ १७६
[18] दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज
[19] गांधी, मोहनदास करमचंद, राष्ट्रभाषा और लिपि, २० अक्टूबर १६१७ के गुजरात भाषण का अंश,
[20] http//blog.mygov.in/editorial, 14.09.17, page seen 22.10.18
[21] बसु, डा० दुर्गा दास, भारत का संविधान, वाधवा एण्ड कं० नागपुर, पेज ३८७
[22] www.aajtak.in , seen 10.01.2019
[23] सिंह नीरज भाषा की राजनीति का गढ़ है तमिलनाडु,,ू्बींनजीपकनदपलंण्बवउए २३ण्१०ण २०१३ए`ममद ४ण०२ण२०१६
[24] www.wikipedia.org, seen 12.01.2019
[25] वैदिक डा० वेद प्रताप, दक्षिण का हिंदी विरोध कैसे खत्म हो?,ू्ण्दंलंपदकपंण्बवउए २७ण०७ण२०१७ए`ममद २३ण०१ण२०१६
[26] www.dailyhunt.in, seen 08.02.2019
[27] आनंदी एस., विजय भास्कर,ू्ण्जीमूपतमीपदकपण्बवउ
[28] निश्चल डा० ओम, हिन्दी पर अंग्रेजी की प्रेत छाया, गर्भनाल ई पत्रिका, जनवरी २०१६,
[29] दास अरविंद, भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी,ू्ण्इंतहंकण्वतहए`ममद २५ण१२ण२०१८
[30] दाधीच, बालेन्दु शर्मा, तकनीकी विकास से समृद्ध होगी हिन्दी, लेख, पांचजन्य डॉट कॉम, २८.०८.१८, १०.११.१८
[31] कर्नाटक में हिन्दी बर्दाश्त नहीं,ू्ण्रंरजांण्पदकपंजवकंलण्पदए २२ण०८ण२०१७ए`ममद ०८ मिइण २०१६